

24.02.23

पत्रावली प्राप्त हुई। नगर एसोसिएशन  
तथा पंचायत एका गया है। अतः इत्या  
होकर पत्रावली आदि 27-03-23  
को पेश हो।

रमेश

27.3.23

पत्रावली पेश हुई।  
आपीठन शर्त उनके वकील से शे कोर्ड  
उपायित नहीं।

कुछ मूल वाद अफम पोखी शर्त  
अफम हाजरी से खारिज हो चुका है  
अतः आवेदन से अब कोर्ड कार्यवाही  
अपीठित नहीं है।

लिखजा आवेदन की कार्यवाही  
इकी रूग्ण पर समाप्त की जाती है।

पत्रावली केवल शुक्रार देखर मूल  
वाद के संलग्न हो।

सहायक कमिश्नर  
(S.D.O.) सिवाना

